कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,खण्डवा (म.प्र.)

निविदा

2021 - 22

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा, के केम्पस में स्थित कैफेटेरिया(कैंटीन)किराये पर देने हेतु Re-Tender आवेदन फार्म

वर्ष 2021–22

ऑनलाईन– निविदा फार्म

निविदा मूल्य– . 1000/–

(रूपये एक हजार मात्र)

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई– निविदा विज्ञप्ति क्रं. 06/Tender/NSCGMC/22

S. NO.	Description	Schedule
1.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	10/03/2022 Time 9 Am
2.	ऑनलाईन निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	10/03/2022 Time 10 Am
3.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	25/03/2022 Time 5.30 Pm
4.	ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	25/03/2022 Time 5.30 Pm
5.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर टेक्रीकल बिड)	29/03/2022 Time 11 Am
6.	धरोहर राशि केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करें	50,000/–

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश :–

1. निविदा केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
2. केवल ऑनलाईन निविदा मान्य होगी। किन्तु ऑफलाईन निविदा (Technical Document) के साथ दिनांक 25.03.2022 सायं 5.30 बजे तक नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में प्राप्त होना चाहिये।
3. धरोहर राशि (EMD)रूपये 50,000/– के रूप में ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,खण्डवा

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अतंर्गत आने वाले न.सि.चौ.शा.चि.म. की कैफेटेरिया(कैंटीन) को ठेके की शर्तें एवं नियमावली:–

(A) पात्रता और अर्हता मापदण्ड अनुभव विगत कार्य निष्पादन, तकनीकी क्षमता आदि।

1. ठेकेदार को कैफेटेरिया(**कैंटीन**) चलाने हेतु न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्था/शैक्षणिक संस्था/शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार के कार्य संचालन का होना चाहिए। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। स्वचालीत कैंटीन हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
2. अधिकतम आवेदनकार ठेकेदार को कैफेटेरिया (कैंटीन) चलाने हेतु आवश्यक लाइसेंस/नगर निगम द्वारा जारी गुमारता कैफेटेरिया आवंटन की तिथि से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. ठेकेदार व उनके कर्मचारियों का व्यवहार एवं आचरण शालीनता पूर्ण होना चाहिये कि उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं आवे।
4. जी.एस.टी.नम्बर एवं पेन नम्बर अनिवार्य।

(B) आवेदनक प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि।

DEAN & CEO
Nandkumar Singh Chouhan
Government Medical College
KHANDWA (M.P.)

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 1,000/- निर्धारित है यह प्रपत्र ऑनलाईन माध्यम से नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. ठेकेदार को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कैफेटेरिया(कैंटीन) आवंटित होने के पश्चात् सुरक्षा धनराशी रूपये 50,000 की राशी अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के नाम FDR(Fixed Deposit) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की हो, जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो, प्रस्तुत करनी होगी।
3. ठेका स्वीकृत होने पर संबंधित को छः माह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
4. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पूर्व स्वेच्छा से कैफेटेरिया/कैंटीन का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।

(C) आवेदन प्रपत्र प्रस्ताव दरें एवं न्यूनतम दर प्रदायकर्ता का निर्धारण।

1. समस्त इच्छुक आवेदनकर्ता को अपना प्रस्ताव आवेदन ऑनलाईन माध्यम से ही देना होगा। आवेदन के समस्त पृष्ठों एवं संलग्नों पर हस्ताक्षर करना होगा।
2. यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ताओं के अनुदान प्रस्ताव समाप्त है तो ऐसी स्थिति मे कार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता के आधार पर कार्य का आवंटन किया जावेगा इस संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। जो की आपको मान्य करना होगा।
3. कैफेटेरिया(कैंटीन) में कार्य दिवस/शैक्षणिक दिवस में कैफेटेरिया(कैंटीन) में चाय,नास्ता, भोजन आदि हेतु उपस्थिति की अनुमानित संख्या आवेदन भरने के पूर्व आप स्वयं आकलन करे।
4. कैफेटेरिया(कैंटीन) का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि कैफेटेरिया(कैंटीन) संचालक को संचालन हेतु दिया जावेंगा, अन्य क्षैत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित कैफेटेरिया(कैंटीन)की मासिक अनुदान राशि आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त स्थानो का न्युनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कैफेटेरिया का नाम	स्थान	कैफेटेरिया का क्षेत्रफल	न्युनतम अनुदान प्रतिमाह	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा
01	कैफेटेरिया (कैंटीन)	न.कु.सि.शा. चि.म. खण्डवा	373.11 वर्ग मीटर	52000/-	

5. **BOQ में मैन्यु (Proposed Food Menu Atteched with Tender Document) के हिसाब से सबसे अधिकतम दर अंकित करने वाले निविदाकर्ता को H-1 अंकित कर निविदा का चयन किया जायेगा। एवं ऐसे H-1 निविदाकर्ता को सफल निविदाकार घोषित कर कैफेटेरिया(कैंटीन) के संचालन का ऑर्डर प्रेषित किया जायेगा। जिसमें अधिष्ठाता का निर्णय सर्वोपरि होगा।**

6. रिस्पोन्सिव दर प्रदायकर्ता का आशय यह है कि वह संस्थान द्वारा जारी समस्त आर्हताओं आदि को पूर्ण करता है एवं उसने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि आदि जमा कर निर्धारित समय में अपना प्रस्ताव आवश्यक संलग्नों सहित प्रस्तुत किया है।

(D) आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तथा आवेदन खोलने की दिनांक समय व स्थान।

1. ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 25/03/2022 समय सायं 5:30 बजे तक निर्धारित है सील बन्द प्रस्ताव अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

खण्डवा के कार्यालय में अंतिम समय दिनांक 25/03/2022 शाम 5.30 बजे तक प्राप्त होना चाहिए।

2. आवेदन इस दिन अर्थात दिनांक 29/03/2022 को ही समय प्रातः 11:00 बजे नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के कांफ्रेन्स हॉल में खोली जावेगें।
3. जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(E) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रक्रिया।

इच्छुक आवेदनकर्ताओं को निम्नानुसार प्रस्ताव ऑनलाईन माध्यम से ई–टेण्डरिंग वेबसाईट पर अंतिम समय तक प्रस्तुत करना होगे।

(F) प्रस्ताव निम्नानुसार ऑनलाईन माध्यम एवं ऑफलाईन माध्यम से नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को दिनांक 25/03/2022 सायं 5:30 P.M. से पहले पहुचाना आवश्यक है।

➢ **Technical Bid में निम्नानुसार रखा जावें।**

1. धरोहर राशि रू 50,000/– रिसिप्ट ऑनलाईन
2. आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि रू.1,000/– नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (यदि वेब साईट से डॉउन लोड कर आवेदन पत्र का उपयोग किया गया हो)।
3. किन्ही एक संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।
4. CA द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 20 लाख का मिनिमम टर्न–ऑवर (वित्तीय स्थिति) हो (जो कि सिर्फ केंटरिंग कार्य से हो)।
5. शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में कम से कम 2 स्थानों पर कार्यरत हो।
6. चरित्र प्रमाण–पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
7. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।
8. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
9. नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जाररी प्रमाण–पत्र/ लाईसेन्स।
10. फोटोयुक्त पहचान पत्र– आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
11. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
12. फर्म संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें निविदाकृत कार्य/ व्यवसाय का उल्लेख हो।
13. वित्तीय वर्ष 2017/18, 2019–20 एवं 2020–2021 (एसेसमेन्ट ईयर 18–19,19–20, एवं 20–21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
14. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ–पत्र।
15. 100 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)।
16. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
17. वैध जीएसटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।
18. जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।

➢ **Financial Bid** में निम्नानुसार ऑनलाईन माध्यम से **BOQ** के माध्यम से वित्तीय प्रभाव का आवेदन ऑनलाईन माध्यम से **BOQ** में अंकित कर **Online tender** में संलग्न की जावे **Financial Bid** में सर्वाधिक (अधिकतम) **Bid** करने वाले निविदाकर्ता को(**highest bidder H1**) को सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाएगा एवं ऐसे निविदाकर्ता को कैफेटेरिया(कैंटीन) के संचालन हेतु आदेश प्रेषित किया जाएगा एवं अधिष्ठाता का निर्णय किसी विवाद की स्थिती में सर्वोपरि रहेगा। **Financial Bid Offline** ना भेजा जावे ये सुनिश्चित करें।

कैफेटेरिया(कैंटीन)हेतु नियम एवं आवश्यक शर्ते

1. तीन वर्ष उपरान्त दोनो पक्षों की सहमति पर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हीं शर्तो पर या संशोधित शर्तों पर आगामी अधिकतम एक वर्ष के लिए एवं इसी प्रकार आगे अधिकतम पॉच वर्ष की समयावृद्धि की जा सकेगी।
2. **प्रति वर्ष अनुदान राशि में नियत 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावेगी तथा पानी व बिजली बिल पृथक से देय होगा।**
3. कैफेटेरिया(कैंटीन) में विक्रय होने वाली सामग्री की दरे प्रतिवर्ष अधिकतम 10% की दर से दोनो पक्षो की सहमति पर ही बढ़ाई जा सकती है।
4. **ठेका मंजूर होने के दिवस से एक माह के भीतर, आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।**
5. ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। इसका सम्पूर्ण व्ययं सफल आवेदनकार को ही वहन करना होगा।
6. **ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को कैफेटेरिया**(कैंटीन) **भवन चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान शॉप से हटाकर कैफेटेरिया** (कैंटीन) **का चार्ज सात दिवस के अन्दर समिति संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में 3000/–रू. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा,साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी।**
7. **कैफेटेरिया (कैंटीन) में ईधन के लिये ठेकेदार द्वारा व्यवसायिक LPG गैस का ही उपयोग किया जाना आवश्यक हैं। डोमेस्टिक LPG गैस का उपयोग प्रतिबंधित है, उपयोग करते हुए पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी कैफेटेरिया संचालक की होगी।**
8. **कैफेटेरिया (कैंटीन) में ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखना होगें। उनकी पोशाख एक समान ड्रेस कोड तथा साफ–सुथरी होना अनिवार्य है। कैफेटेरिया (कैंटीन) में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाखून और बालों की सफाई अनिवार्य हैं। कर्मचारी के रूप में रोगी एवं बीमार व्यक्ति तथा बाल मजदूर प्रतिबंधित रहेगे। बाल मजदूर रखने पर उसकी समस्त जवाबदारी कैफेटेरिया संचालक की होगी।**
9. शर्तों के साथ निम्नाकित वचन पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आवेदनकर्ता को देना होगाः (अ) आवेदनकर्ता शासकीय /अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्टेड घोषित न किया गया हो।

(ब) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदन प्रपत्र एवं आवेदन की शर्ते पूर्णत पढ ली है तथा मुझे सभी शर्ते स्वीकार हैं (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर नाम,पता एवं फोन नं. के साथ होना आवश्यक है।)

अधिष्ठाता / कैफेटेरिया(कैंटीन) समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किस भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने अथवा आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लघन करने हुए पाये जाने पर प्रत्येक आवसर पर 1000 रू. का दण्ड देना होगा।

10. **तीन निरीक्षणों में यदि कैफेटेरिया (कैंटीन) में किसी प्रकार की अनियमिता पाई गई को तत्काल प्रभाव से तीन माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।**

11. कैफेटेरिया(कैंटीन)तथा अन्य स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना अधिष्ठाता नंदकुमार चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की स्वीकृति के नही किया जायेगा तथा कैफेटेरिया को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति ठेकेदार जमा सुरक्षा निधि से की जायेगी।

12. कैफेटेरिया(कैंटीन) में शुद्ध पानी (R.O. System) पर्याप्त व्यवस्था **कैफेटेरिया** ठेकेदार को रखना होगी तथा हाथ धोने के स्थान पर साबुन एवं टावेल रखना होगा। पीने के पानी का एवं हाथ धोने का स्थान अलग– अलग होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था कैफेटेरिया(कैंटीन) संचालक को स्वयं को करनी होगी।

13. कैफेटेरिया(कैंटीन)में बिड़ी, सिगरेट,तम्बाकू आदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेगे। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर कैफेटेरिया में उपयोग करने के लिये अनुमति नहीं देगा। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पाये जाने पर 1,000 रू. का आर्थिक दण्ड देना होगा। मादक पदार्थ के प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाने होगें।

14. **कैफेटेरिया(कैंटीन) समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बन्द होने की अवस्था में यथा संभव तीन दिन पूर्व सूचना अधिष्ठाता को लिखित रूप में देने होगी।**

15. **कैफेटेरिया(कैंटीन) का छः माह का अग्रिम अनुदान राशि कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के भीतर लेखाशाखा नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में जमा कराना होगा। तद्उपरांत प्रतिमाह की प्रथम तरीख को /अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस संस्था की लेखा शाखा में प्रत्येक माह का किराया जमा कराना होगा। अनुदान राशि विलम्ब होने पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन के मान से शुल्क जमा करना होगा।**

16. **कैफेटेरिया(कैंटीन)संचालक को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVEL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाना होगा। जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रूप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVL की व्यवसायिक दर से देय होगा। MPPKVL द्वारा दरे वृद्धि करने पर तदनुसार वृद्धि की जावेगी।**

17. कैफेटेरिया (कैंटीन)में एक सुझाव/शिकायत पेटी लगाई जावेगी जिसे महाविद्यालय के कैफेटेरिया समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिमाह खोला जावेगा एवं अधिष्ठाता की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।

18. ठेकेदार को संलग्न सूची में निर्धारित वजन मात्रा एवं दर के अनुसार खाद्य सामग्री ताजे रुप से तैयार करते हुए कैफेटेरिया(कैंटीन)रखना होगी। जिन सामग्री की दर निर्धारित नहीं की जा रही है ऐसी सामग्री के अतिरिक्त विभिन्न निर्माणकर्ताओं द्वारा बनी हुई पेक सामग्री उस पर मुद्रीत एम.आर.पीत्र पर अंकित दरों पर अथवा उससे कम पर प्रदाय करना होगा।

19. दर सूची एवं सामग्री की मात्रा का प्रकाशन कैफेटेरिया(कैंटीन)काउन्टर के पटल पर पेन्टा द्वारा लिखकर दर्शाना होगी।

20. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को रहेगा।

21. कैफेटेरिया(कैंटीन) में उपयोग कि जाने वाली कच्ची सामग्री एवं बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसी भी समय शासन के सन्क्षन अधिकारी/संस्थान के अधिष्ठाता/संस्था अधिष्ठाता द्वारा इस हेतु नई समिति द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है यह प्रक्रिया बनी हुई सामग्री वजन आदि के लिए मान्य होगी।

22. ठेकेदार को कैफेटेरिया(कैंटीन) के उपयोग के लिये उत्तम किस्म के आवश्यक फर्नीचर (सनमायका टॉप) स्टेनलेस स्टील के बर्तन व उच्च प्रकार की काकरी आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगी। प्लास्टिक बर्तन/ डिस्पोजेवल का उपयोग वर्जित रहेगा। चाय एवं काफी के लिए सफेद रंग के क्राकरी के कप, प्लेट ही उपयोग किये जावे।

23. कैफेटेरिया(कैंटीन)में प्रदाय किये जाने वाले पदार्थ शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जावे। इस संबंध में अधिष्ठाता या संबंधित संस्था के संबंधित अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।

24. आदेश दिये जाने पर खाद्य सामग्री व चाय आदि महाविद्यालय में अधिष्ठाता कार्यालय एवं विभागों में स्वयं ठेकेदार को भेजने की व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

25. खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की कच्ची सामग्री उपयोग करते हुए बनाना होगा। रिफाईन्ड तेल का उपयोग करना होगा। ताजी सब्जियों,दूध,दही आदि का ही उपयोग करना होगा। एक दिन पूर्व की बनी हुई खाद्य सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा।

26. आपको कैफेटेरिया(कैंटीन) में केवल वही खाद्य सामग्री का विक्रय करना होगा जिनकी सामग्रीवार दरें प्रथमतः निर्धारित की जाएगी। निर्धारित समस्त सामग्रिया प्रत्येक दिवस मांग पर उपलब्ध करानी होगी। अतिरिक्त सामग्री अधिष्ठाता की अनुमति के बिना रखना वर्जित रहेगा। उल्लघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर रू.1000 का जुर्माना लिया जावेगा।

27. संस्थान में समय–समय पर होने वाले बैठकों कार्यशालाओं, अन्य आयोजनों पर आदेशित सामग्री एवं उनसे संबंधित समस्त निर्देशित व्यवस्थाएं आपको करना होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

28. ठेकेदार को कैफेटेरिया(कैंटीन)स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा।

29. संस्थान द्वारा जारी शर्तो के अतिरिक्त,ठेकेदार की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

30. कैफेटेरिया(कैंटीन)में किसी भी प्रकार का उपद्रव, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा। कैफेटेरिया(कैंटीन)में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकेदार का ही कर्त्तव्य होगा।

31. कैफेटेरिया(कैंटीन)में प्रयोग कोल्डड्रिंक्स,आईसक्रीम एवं दूध व अन्य खाद्य सामग्री को रखने के लिये फ्रिज एवं चीलर आवश्यक रूप से रखना होगा।

32. कैफेटेरिया(कैंटीन)में प्रयोग की जाने वाली चटनीयॉ व सलाद प्रतिदिन ताजा होना चाहिए तथा ट्मेटो सॉस ब्रांडेड होना चाहिए।

33. कैफेटेरिया(कैंटीन)में ठंडे खाने को गर्म करने हेतु एक माइक्रोवेव ओवन की व्यवस्था करनी होगी।

34. कैफेटेरिया(कैंटीन)तथा उससे संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ–सफाई एव अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। इसका समस्त व्यय उसे करना होगा। नगर–निगम व शासन की वाली कार्यवाही का जवाबवदार कैफेटेरिया(कैंटीन)संचालक स्वयं रहेगा।

35. सामग्री के टेबल अथवा संस्थान परिसर में आदेशित स्थान पर सामग्री व्यवस्थित रूप से पहुचाने एवं उसके सर्विस करने तथा उपयोग उपरान्त साफ–सफाई करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

36. कैफेटेरिया(कैंटीन) में जो कर्मचारी रखे जावेगें उनकी सूची फोटो, पते एवं फोन न आदि अधिष्ठाता कार्यालाय में समय–समय पर देना होगें,बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

37. ठेकेदार एवं कैफेटेरिया में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वंय ही जवाबदार होगा।

38. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को उपरोक्त शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।

39. कैफेटेरिया(कैंटीन) ठेके अनुशासन या विवाद आदि में अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को बंधनकारक होगा।

40. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा

41. संस्थान को किसी भी प्रकार की बकाया राशि, जमा की गई सुरक्षा धन राशि में से वसूल की जावेगी।

42. किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र खण्डवा रहेगा।

43. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

44. आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। काट–छाट नहीं होना चाहिए। अपूर्ण अस्वीकृत की जावेगी।

45. केवल परिसर के रहने वाले व्यक्ति हेतु उपयोग के लिए मान्य होगा ।

46. परिसर मे किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेगा।

47. कर्मचारियों की आई.डी एवं उनकी संख्या निर्धारित रहेगी।

48. कर्मचारी अपने रिश्तेदार ,मित्र आदि का कॉलेज परिसर में आना प्रतिबंधित रहेगा।

49. निविदा स्वीकृति एवं कार्य आदेश जारी करने के पश्चात अधिकतम 15 दिवस के अदंर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

50. अनुबंध करने के उपरान्त अधिकतम 01 वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य है, अगर बीच में कार्य छोड़ जाता है तो 03 वर्षों के लिये संस्था की काली सूची में डाल दिया जावेगा एवं जमा राशि राजसात कर ली जावेगी।

51. निविदाकार फर्म से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता शासकीय मेडिकल कॉलेज का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

52. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।

53. निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी असत्य, संलग्न फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

54. निविदादाता फर्म अथवा उसके संचालक को न तो किसी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो और न ही फर्म अथवा संचालक के विरूद्ध किसी भी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में संबंधित प्रकरण प्रचलन में हों।

55. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को कोई भी निविदा किसी भी समय स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/ रहेगा।

56. ड्रग लायसेंस की स्वयं सत्यापित छायाप्रति। (जहाँ लागू हों)

57. समस्त प्रक्रिया में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।

58. **लायसेंस मनी/किराया प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। किराया चैक/डी डी अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के पक्ष में जमा करना होगा। किराया समय वा जमा नहीं करने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी एवं पेनल्टी लगाई जावेगी।**

59. समय–समय पर शासन के द्वारा जारी समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

60. दुकान संचालन का समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

61. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण निरस्त करने का समस्त अधिकार अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के पास सुरक्षित रहेंगे जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

62. निविदाकार जहाँ कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि श्रम अधिनियमों एवं आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन व उनके अंतर्गत वर्णित नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में किसी वाद–विवाद में अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा, कार्यालय खण्डवा द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अंतर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि कार्यालय को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।

63. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

64. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

65. निविदा प्रपत्र में प्रत्येक कॉट–छॉट पर निविदाकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

66. निविदा स्वीकार करने/नही करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने अंतिम अधिकार अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को होगा।

67. **निविदायें उनके खुले जाने एवं पात्र निविदाकर्ता के द्वारा अनुबंध किये जाने की तारीख से 02 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। सेवा एवं कार्य संतोषजनक होने पर अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के आदेश अनुसार अविध आगे बढ़ाई जा सकती है। अनुबंध की अवधि बढ़ाने के लिए अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा बाध्य नहीं होंगे एवं सेवा असंतोषप्रद होने पर या अनियमितता पाए जाने पर अनुबंध किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।**

68. निविदाकर्ता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तो/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढकर समझ कर समस्त शर्ते विवरण स्वीकार कर हस्ताक्षर किये है।

69. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रदद् करने या जिन सेवाओं के लिए निविदाकर्ता ने निविदा दी है उन सब के लिए या किसी एक फर्म /प्रदायकर्ता से अधिक की सेवा की दरों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।

70. **करार व प्रतिभूति निक्षेप सफल निविदाकर्ता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार करार/ अनुबंध पत्र रूपये 1000/– के हजार रूपये के नॉन ज्यूडिश्यिल स्टॉम्प पर निष्पादित करना होगा। जिस पर होने वाले व्यय का भुगतान स्वयं निविदाकर्ता को करना होगा।**

71. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना/धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

72. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा, इस संबंध में अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा का निर्णय अंतिम होगा।

73. निविदाकर्ता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- यदि भागीदारी फर्म है तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- एक मात्र स्वामित्व के मामले मे आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट, कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्टर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- नगर निगम खण्डवा या अन्य सक्षम अधिकारी/सरकारी कार्यालय/संस्था द्वारा जारी लाईसेंस की वैध प्रति। जहा लागू हो वहॉ।

74. निविदाकर्ता दर संविदा को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।

75. निविदाकर्ता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करान एक प्रकार की अनियमितता होगी।

76. यदि निविदा के संबंध में नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में कार्यरत् किसी व्यक्ति द्वारा निविदा को पास कराये जाने सम्बंध में कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अद्योहस्ताक्षरकर्ता को ध्यान में लाना निविदकार्ता का दायित्व होगा।

1. सभी कर्मचारियों को बैक में खाता खुलवाना होगा और ई-पेमेंट द्वारा मजदूरी राशि अंतरिम करनी होगी।
2. कार्यालय द्वारा निर्धारित सामग्री एवं कार्य की दरें परिसर के अंदर ओर बाहर सर्वसुलभ स्थान पर चस्प कराना होगा।
3. सभी कर्मचारी यूनिफार्म में रहेगें।
4. कैफेटेरिया(कैंटीन) में फर्नीचर व्यवस्था की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की ही रहेगी। कॉलेज प्रशासन की फर्नीचर प्रदाय करने की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। जौ फर्नीचर कॉलेज प्रशासन के पास उपलब्ध हैं उससे अधिक की यदि आवश्यकता है, इसकी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की ही होगी।

DEAN & CEO
Nandkumar Singh Chouhan
Government Medical College
KHANDWA (M.P.)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म.
खण्डवा (म.प्र.)

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा कैफेटेरिया (कैंटीन) ठेके के संबंध में जारी समस्त शर्ते अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली है, जो मुझे मान्य है।

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा

प्रपत्र– अ

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)

1. संस्था का नाम जिसमें कैफेटेरिया(कैंटीन) हेतु आवेदन किया गया राशि रू..
....
2. एफ.डी.आर.(3 वर्ष) की अवधि (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक)...
3. जारी होने का दिनांक...
4. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता...
....
5. भुगतान का स्थान...

निविदाकर्ता के हस्ताक्षरः–..
नाम एवं पूर्ण पताः– ....
संस्थान का नामः–..
संस्था का सीलः–..
दिनांकः–...

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा

प्रपत्र–ब

संस्था का नाम जिसमें कैफेटेरिया(कैंटीन) हेतु आवेदन किया गया...

- लिफाफा :– B- में निम्नानुसार रखा जावें।
  1. किन्ही एक संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।
  2. C.A. द्वारा प्रमाणिम सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 20 लाख का मिनिमम टर्न–ऑवर (वित्तीय स्थिति) हो (जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो)।
  3. शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में कम से कम 2 स्थानों पर कार्यरत हो।
  4. चरित्र प्रमाण–पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
  5. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।
  6. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कियस हुआ हो।
  7. निगम / सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र / लाईसेन्स / गुमास्ता की प्रतिलिपि।
  8. फोटोयुक्त पहचान पत्रः– आधार कार्ड, या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
  9. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
  10. फर्म संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें निविदाकृत कार्य / व्यवसाय का उल्लेख हो।
  11. वित्तीय वर्ष 2017 / 18,2019–20 एवं 2020–2021 (एसेसमेन्ट ईयर 18–19,19–20, एव 20–21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
  17. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ–पत्र।
  18. 100 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)।
  19. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
  20. वैध जीएसटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।
  21. जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह शा.चि.म.
खण्डवा (म.प्र.)

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र :– स

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें।		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) ऑनलाईन जमा करें।				
2.	आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि 1000/– नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (यदि वेब साईट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र का उपयोग किया गया हो)।				
6.	किन्ही एक संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।				
7.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
10	CA द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 20 लाख का मिनिमम टर्न–ऑवर (वित्तीय स्थिति) हो (जो कि सिर्फ केंटरिंग कार्य से हो)।				
11	शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में कम से कम 2 स्थानों पर कार्यरत हो।				
12	चरित्र प्रमाण–पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।				
13	आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)				
14	टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हो।				
15	नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण–पत्र/लायसेंस				
16	फोटोयुक्त पहचान पत्र–आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस अनिवार्य है।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

MODEL PROPOSED FOOD MENU FOR THE CAFETERIA (CANTEEN)

Note:

1. Proposed Menu Rates For The Cafeteria (Canteen) Which The Selected Vendor Has To Follow On Strictly basis
2. Rates to be quoted in BOQ as Per This Menu for allocation of Cafeteria (Canteen) as per the terms mentioned in tender document
3. Highest Bidder in the BOQ (Price BID) Will be selected for allocation of Cafeteria (Canteen)
4. Electricity Bill per month Has to be paid by the vendor as per their usage on monthly basis as per terms and conditions in tender document
5. Drinking water arrangement will be on the counterpart of selected vendor

Food Item Description	Proposed Rates
Chinese (Non Veg)	
Chicken Noodles	Rs 150
Chicken Chilly	Rs 180
Chicken Momos	Rs 140
Chicken Fried Rice	Rs 150
Chicken Roast	Rs 160
Chinese (Veg)	
Noodles	Rs 80
Manchurian	Rs 80
Fried Rice	Rs 80
Paneer Chilly	Rs 100
Paneer 65	Rs 120
Veg Crispy	Rs 90
Veg Cutlate	Rs 80
Crispy Chilly Potato	Rs 90
French Fries	Rs 70
Crispy Corn	Rs 100
Momos	Rs 100
Rolls	
Chicken Cheese Rolls	Rs 180
Paneer Cheese Rolls	Rs 120
Veg Cheese Rolls	Rs 120
Burger	
Veg Burger	
Veg Cheese Burger	Rs 40
	Rs 50
Thali	
Veg Thali	Rs 100
Non Veg Thali	Rs 150
South Indian	
Plain Dosa	Rs 60
Masala Dosa	Rs 70

Idli Sambhar	Rs 70
Masala Idli	Rs 80
Indian Snacks	
Chole Bhature	Rs 100
Samosa	Rs 10
Kachori	Rs 10
Baked Samosa	Rs 15
Cheese Samosa	Rs 25
Veg Patties	Rs 25
Aloo Bada	Rs 10
Egg Dishes	
Egg Banjo (2 Eggs)	Rs 35
Omlette (2 Eggs)	Rs 25
Sandwich	
Bombay Sandwich	Rs 40
Veg Sandwich	Rs 50
Veg Cheese Sandwich	Rs 60
Masala Sandwich	Rs 60
Main Course	
Chicken	Rs 150
Chicken Masala	Rs 150
Kadhai Chicken	Rs 160
Chicken Roghan Ghosh	Rs 170
Kadhai Paneer	Rs 150
Paneer Tikka Masala	Rs 150
Matar Paneer	Rs 100
Punjabi Kofte	Rs 150
Malai Kofte	Rs 140
Sev tamatar	Rs 100
Kaju Curry	Rs 150
Mushroom Tikka Masala	Rs 140
Chana Masala	Rs 100
Dal tadka	Rs 80
Roti	
Tawa Roti	Rs 10
Makka Roti	Rs 15
Rumali Roti	Rs 20
Beverages	
Tea	Rs 10
Coffee	Rs 20
Cold Coffee	Rs 60
Cold Coffee With Ice creams	Rs 70
Vanilla Shake	Rs 60
Chocolate Shake	Rs 70
Oreo Shake	Rs 80
Kit Kat Shake	Rs 80
Ass. Soft Drink	Rs 15
Ice Creams	At MRP

DEAN & CEO

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
खण्डवा (म.प्र.)